राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5946/2022

पूरण चन्द मीना (कर्मचारी आई.डी.– आरजेडीए199613007194)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.11.2022
आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–। के पद पर रा.उ.मा.वि. थुमड़ी, ब्लॉक नांगल, राजावतान, जिला दौसा में कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्तमान स्थान पर अनुकम्पा के तहत हुई थी, जिसमें आदेश दिनांक 10.07.2017 के द्वारा अपीलार्थी का समायोजन 6डी नियम के तहत ब्लॉक नांगल राजावतान में कर दिया गया था। चूंकि अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी और वर्तमान पदस्थापन स्थान निवास स्थान से काफी दूर है, जिससे अपीलार्थी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अपीलार्थी ने जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 05.04.2022 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने ब्लॉक दौसा में रिक्त पद पर उसका पदस्थापन/समायोजन के लिए अनुग्रह किया है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभी तक अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)